न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 124 / 2021

उनवान

रामकरण पुत्र रामचन्द्र जाति रेगर निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र अमरा
2. सोहन पुत्र रामनाथ जाति रेगर निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 2 अनुपस्थित
3 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :- दिनांक :– 10/9/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के हाल खाता संख्या 685 / 223 किता 3 रकबा 0.37 की आराजी वादी की खातेदारी की है उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु वादी की खातेदारी आराजी हडपने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने दिनांक 20.09.21 को एकराय होकर डूगा चलाकर वादी की खातेदारी आराजी पर फसल नष्ट कर दी। प्रतिवादी का रास्ता अलग है किन्तु वादी के परिवार के होने के कारण पारिवारिक रंजिश के कारण फसल में नुकसान कारित कर मारपीट पर उतारू हो गये है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी रामकरण का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बाघसुरी के हाल खाता संख्या 685 / 223 किता 3 रकबा 0.37 की आराजी वादी की एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर [illegible] कोई हक व अधिकार निहित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 प्रकरण में [illegible]पस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को [illegible] मुताबिक दखलदांजी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उनके द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर बिना किसी कारण के दखलदांजी की जाती है तो वादी के हित प्रभावित होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:28:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बाघसुरी के हाल खाता संख्या 685/223 किता 3 रकबा 0.37 की आराजी वादी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:28:21 IST
Reason: SelfAttested